न्यायालय– उप जिला कलेक्टर बामनवास

पीठासीन अधिकारी– प्रियंका कडेला (आर.ए.एस.)

मु0नं0 80/2024 तारीख रजु–25/08/2024 निर्णय दिनांक– 28·4·26

1 रामकिशन पुत्र गजानंद, उम्र 64 वर्ष, जाति गुर्जर, निवासी नागरहेड़ा, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर। सायल.

बनाम

1. देवीसिंह पुत्र रामफूल,
2. रामफूल पुत्र हंसराज,
3. सियाराम पुत्र हंसराज,
   जाति गुर्जर, निवासी नागरहेडा, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर। गैरसायलान...
4. लैण्ड होल्डर, जरिये तहसीलदार, तहसील।

प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितः–

1. श्री रामसिंह मीना, अधिवक्ता, सायल की ओर से
2. श्री योगेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता, गैरसायलान की ओर से

आदेश दिनांक 28·4·26

1. इस आदेश के माध्यम से सायल रामकिशन की ओर से विरुद्ध गैरसायलान देवींसिंह व अन्य पेश अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अंर्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण किया जा रहा है, जिसके सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है।

2. सायल द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया कि सायल के कब्जे काश्त की कृषि भूमि हाल खसरा नंबर 489/523 रकबा 0.30 हेक्टेयर स्थित ग्राम रामनगर ढ़ोसी, तहसील बामनवास है, जिस पर सायल बजमाने बुजुर्गान से काबिज होकर लाभान्वित होकर चला आ रहा है। उक्त खसरा नंबर के साबिक खसरा नंबर 145/159 रकबा 5 बीघा रहे हैं जो विधि विरुद्ध तरीके से उच्छव, कंवर [illegible] प्रारंभ से ही उक्त भूमि पर सायल ही काबिज चला आ रहा है [illegible] खसरा नंबर 489/523 रकबा 0.30 हेक्टेयर पर सायल [illegible] काबिज होकर लाभान्वित होता आ रहा है, शेष दो रकबे खसरा नंबर 48[illegible] रकबा 0.83 हेक्टेयर व [illegible] रकबा 0.20 हेक्टेयर पर अम्बालाल व घनश्याम सदैव काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादग्रस्त भूमि साबिक खसरा नंबर 145/159 से उच्छव कंवर का

उपजिला कलक्टर
बामनवास (स0मा0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.05.20 16:08:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

कोई संबंध नहीं है, देहानी रिपोर्ट में भी उच्छव कंवर का नाम दर्ज नहीं होने पश्चात भी राजस्व कर्मचारियों ने गलत तरीके से उक्त भूमि में उच्छव कंवर की खातेदारी अंकित कर दी, जबकि वादग्रस्त आराजी को कभी उच्छव कंवर द्वारा काश्त नहीं किया गया है, न ही कभी उसका कब्जा रहा है। सायल दिनांक 29.06.2020 को वादग्रस्त आराजी की सार–संभाल कर रहा था तो अचाकन गैरसायल संख्या 1 ता 3 आए और धमकी दी कि वादग्रस्त भूमि को सायल तुरंत रखाली कर अपना कब्जा हटा लें, अब इस भूमि को गैरसायलान ही काश्त करेंगे, क्योंकि उन्होंने कय कर ली और उनकी खातेदारी में लग चुकी है। सायल ने मना किया तो उसे बलपूर्वक भूमि से बेदखल करने की धमकी दी गई। गैरसायलान ने सायल को बताया कि उन्होंने वादग्रस्त भूमि दिनांक 13.05.2020 को विक्रेता उच्छव कंवर से कय कर उप पंजीयक, बामनवास के समक्ष पंजीबद्ध करा लिया है। गैरसायलान सायल की वादग्रस्त भूमि को हड़पने को तैयार है। गैरसायलान झगड़ालू किस्म के व्यक्ति है। गैरसायलान द्वारा दिनांक 25.07.2024 को सायल को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने की धमकी देने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ। सायल के पक्ष में प्रथमदृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिंदू पूर्णतया साबित है। अंत में सायल द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए गैरसायलान के विरुद्ध अनुतोष चाहा गया कि गैरसायलान मामले में वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 489/523 रकबा 0.30 हेक्टेयर स्थित ग्राम रामनगर ढ़ोसी के उपयोग–उपभोग में सायल को बाधा उत्पन्न न करें, न ही उक्त आराजी से उसे बेदखल करें।

3. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को तलब किया गया, जिस पर गैरसायलान संख्या 1 ता 3 की ओर से जवाब पेश कर उल्लेख किया गया कि आराजी हाल खसरा नम्बर 489/523 रकवा 0.30 हेक्टर स्थित ग्राम रामनगर ढोसी, तहसील बामनवास में होना व उक्त खसरा नम्बर 145/159 रकवा 5 बीघा से बनना स्वीकार है। आराजी हाल खसरा नम्बर 489 रकवा 0.83 हेक्टर, 489/523 रकवा 0.30 हेक्टर व 489/511 रकवा 0.20 हेक्टर स्थित ग्राम रामनगर ढोसी तहसील बामनवास पर जवाबदार संख्या 01 के कय करने से पूर्व खातेदार उच्छव कंवर काबिज काश्त होकर उक्त भूमि को उपयोग उपभोग में लेती चली आ रही थी तथा उच्छव [illegible] दिनांक 13.05.2020 को जवाबदार संख्या 01 को विक[illegible] कय करने के बाद से जवाबदार संख्या 01 उक्त भूमि आराजी [illegible] खसरा नम्बर 489 रकवा 0.83 हेक्टर, 489/523 रकवा 0.30 हेक्टर, 4[illegible]511 रकवा 0.20 हेक्टर स्थित ग्राम रामनगरढोसी तहसील बामनवास पर काबिज काश्त होकर उक्त भूमि को उपयोग उपभोग में लेता चला आ रहा हैं, जिससे सायल या अन्य किसी दीगर व्यक्ति का उक्त आराजी से कोई सम्बन्ध या वास्ता नहीं है। सेटलमंन्ट विभाग द्वारा साबिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.05.20 16:08:33 IST
Reason: SelfAttested

उपजिला कलक्टर
बामनवास (स०मा०)

Scanned with CamScanner

के अनुसार ही हाल रिकार्ड सही रूप से दर्ज किया है। जब सायल का प्रकरण में विवादित भूमि पर कोई कब्जा काश्त ही नहीं है तो सार संभाल करने का प्रश्न ही नहीं है। जवाबदारान द्वारा ही विवादित खसरा नम्बरान में फसल काश्त की है तथा जवाबदारान ही फसल की सार–संभाल करते रहे हैं। उच्छव कंवर से क्रय करने के बाद से जवाबदार संख्या 01 उक्त भूमि आराजी हाल खसरा नम्बर 489 रकवा 0.83 हेक्टर, 489/523 रकवा 0.30 हेक्टर व 489/511 रकवा 0.20 हेक्टर स्थित ग्राम रामनगर ढोसी तहसील बामनवास पर काविज काश्त होकर उक्त भूमि को उपयोग उपभोग में लेता चला आ रहा हैं, जिससे सायल या अन्य किसी दीगर व्यक्ति का उक्त आराजी से कोई सम्बन्ध या वास्ता नहीं है। गैरसायलान जवाबदारान सीधे, सज्जन, गरीव काश्तकार पेशा व्यक्ति हैं, जबकि सायल स्वयं मुठमर्द व झगडालू किस्म का व्यक्ति है तथा राजनीतिक प्रभाव वाला व्यक्ति है जो लट्ठ के बल पर गैरसायलान जवाबदारान को उक्त आराजी से बेदखल कर देना चाहता है। गैरसायलान जवाबदारान ही आराजी हाल खसरा नम्बर 489 रकवा 0.83 हेक्टर, 489/523 रकवा 0.30 हेक्टर व 489/511 रकवा 0.20 हेक्टर स्थित ग्राम रामनगरढोसी तहसील बामनवास भूमि पर काबिज काश्त हैं, जिसकी पत्थर गढी हेतु माननीय न्यायालय में गैरसायलान जवाबदारान द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश किया किया था जिसमें पत्थर गढी के आदेश होने के बाद मनगढंत घटना बताकर हस्तगत प्रार्थना पत्र सायल द्वारा पेश किया गया है। यदि जवाबदारान को अस्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द कर दिया गया तो अपूर्णनीय क्षति सायल को ना होकर गैरसायलान जवाबदारान को होगी जिसकी पूर्ति दृव्य में संभव नहीं है। जवावदारान की भूमि खसरा नंबर 489 रकबा 0.83 हेक्टेयर, 489/523 रकबा 0.30 हेक्टेयर व 489/511 रकबा 0.20 हेक्टेयर के पास सायल ने हाल खसरा नंबर 490 रकबा 0.45 हेक्टेयर व 490/551 रकबा 0.75 हेक्टेयर वर्ष 1999 में क्रय की है, जिसकी आढ़ में सायल गैरसायलान को उनकी क्रयशुदा भूमि से बेदखल करना चाहता है। अतः सायल की ओर से पेश प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

4. सायल की ओर से पेश प्रार्थना पत्र पर बहस विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। [illegible] द्वारा वादग्रस्त आराजी पर अपना कब्जा बताया, जबकि अधि[illegible] गैर[illegible]लान के द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी को जरिये [illegible] 2020 को क्रय करने के पश्चात वादग्रस्त आराजी पर अपना कब्जा होना बताया है। यह भी तर्क किया गया कि जब सायल के द्वारा वर्ष 1999 में हाल खसरा नंबर क्रय कर उसी अनुसार कब्जा प्राप्त किया है तो सायल का साबिक रिकॉर्ड पर किसी प्रकार का

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.05.20 16:08:33 IST
Reason: SelfAttested

उपजिला कलक्टर
बामनवास (स०मा०)

Scanned with CamScanner

अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, सायल द्वारा जितना रकबा क्रय किया गया है, उतने रकबे के लिए ही न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर सकता है।

5. पत्रावली व उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहन अवलोकन व मनन किया गया, जिसके अनुसार मामले में वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 489/523 रकबा 0.30 हेक्टेयर स्थित ग्राम रामनगर ढ़ोसी, तहसील बामनवास के संबंध में विवाद विद्यमान हैं, जिसके संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात को देखें तो उक्त वादग्रस्त खसरे की भूमि को दिनांक 13.05.2020 को भू–स्वामी उच्छव कंवर से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कर उस पर कब्जा प्राप्त करना दर्शित है, हालांकि सायल के द्वारा वादग्रस्त भूमि को बजगाने बुजुर्गान से काश्त करते आना बताया है, लेकिन गैरसायलान द्वारा पेश दस्तावेज अनुसार वादग्रस्त भूमि के लगवां भूमि खसरा नंबर को सायल के द्वारा वर्ष 1999 में 490 रकबा 0.45 हेक्टेयर व 490/551 रकबा 0.75 हेक्टेयर क्रय किया जाना दर्शित है। इस प्रकार सायल के द्वारा प्रकरण में दर्ज साबिक खसरा नंबर 145/159 रकबा 5 बीघा से किसी प्रकार का कोई संबध दर्शित होता हो, ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, जिससे सायल प्रथमदृष्ट्या मामला अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा। वर्तमान में मामले में वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 489/523 रकबा 0.30 हेक्टेयर गैरसायल संख्या 1 के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय उच्छव कंवर से क्रय किया जाकर कब्जा प्राप्त किया जाना दर्शित है, यदि ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी के उपयोग–उपभोग से जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा गैरसायल को पाबंद किया जाता है तो उससे गैरसायलान के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की पूर्ण संभावना है, जिसकी पूर्ति द्रव्य में संभव नहीं है। अतः सायल प्रथमदृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिंदु अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है।

6. इस प्रकार प्रकरण उपरोक्तानुसार समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सायल की ओर से पेश हस्तगत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र विरुद्ध गैरसायलान देवीसिंह व अन्य स्वीकार किए जाने योग्य प्रतीत नहीं अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 28.05.26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.05.28 16:08:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपजिला कलक्टर
बामनवास (स०मा०)

(प्रियंका कडेला)
उप जिला कलेक्टर
बामनवास।

Scanned with CamScanner